आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2020(1)

सुधीर मित्तल के सम्मुख

निदेशक, विद्यालय शिक्षा, शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन,

चंडीगढ़-याचिकाकर्ता

बनाम

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान और अन्य के लिए राष्ट्रीय आयोग-प्रतिवादीगण

2018 का सीडब्ल्यूपी No.4211

20 मार्च, 2020

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियम) अधिनियम, 1952-धारा 3 और 22-राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004-धारा 11 (बी)-क्षेत्राधिकार-इस संबंध में विवाद कि क्या प्रत्यर्थी स्कूल भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ के भीतर एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है-समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के चंडीगढ़ प्रशासन के निर्देश का उल्लंघन करने के लिए स्कूल की भूमि और भवन को फिर से शुरू करने का खतरा था-एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि किसी विशेष राज्य के भीतर एक समुदाय धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक है, तो उसे अपनी पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है।

यह माना गया है कि उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों में स्पष्ट रूप से वर्णित कानून यह है कि इसे अल्पसंख्यक के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, जिस इकाई पर विचार किया जाना है वह संबंधित राज्य है।एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि किसी विशेष राज्य के भीतर एक समुदाय धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक है, तो उसे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करना और अन्य समुदायों से संबंधित छात्रों का प्रवेश, इसे अल्पसंख्यक चरित्र से वंचित नहीं करता है।इसके अलावा, एक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित संस्था शुरू में एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र रख सकती है और यह बाद में अल्पसंख्यक दर्जे का विकल्प चुन सकती है।(पैरा 45)

पंकज जैन, निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील। ओ.

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

अनिल मेहता, अतिरिक्त सरकारी प्लीडर, यू. टी., चंडीगढ़

याचिकाकर्ता के लिए।

राजीव आत्मा राम, अधिवक्ता भगोती सिंह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता,

प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के लिए।

सुधीर मित्तल, जे।

(1) पक्षों के बीच प्राथमिक विवाद यह है कि क्या प्रतिवादी नं. 03 भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ के भीतर एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है।जिन अन्य मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है, वे उक्त प्राथमिक मुद्दे से संबंधित हैं और उक्त मुख्य मुद्दे के संबंध में की गई कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न होते हैं।

(2) कबीर एजुकेशनल सोसाइटी-प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में जानी जाने वाली एक सोसायटी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिनांक 15.09.1976 के माध्यम से शामिल किया गया था और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (इसके बाद 1860 अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत 30.11.1976 पर 'सोसाइटी' के रूप में पंजीकृत किया गया था।इसकी स्थापना ज्ञान और शिक्षा को आगे बढ़ाने और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना और प्रबंधन के लिए की गई थी।इसके बाद, कबीर एजुकेशनल सोसाइटी-प्रतिवादी संख्या 2 को 'सोसाइटी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा। इसने एक स्कूल स्थापित करने के लिए भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी किए गए 13.10.1988 आवंटन पत्र के माध्यम से इसे भूमि आवंटित की गई। इस भूमि पर एक भवन का निर्माण किया गया था जिसके लिए वर्ष 1990 में एक पूर्णता और व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। एक स्कूल-प्रत्यर्थी संख्या 3 (इसके बाद स्कूल के रूप में संदर्भित) शैक्षणिक सत्र 1991 से उक्त भवन से काम कर रहा है। समाज को एक धर्मनिरपेक्ष इकाई के रूप में शामिल किया गया था जैसा कि संघ के ज्ञापन दिनांक 15.09.1976 में उल्लिखित उद्देश्यों से स्पष्ट है। उन्हीं को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“2. समाज के उद्देश्यः

समाज की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई है, वे हैंः-

((i) ज्ञान और शिक्षा के सभी रूपों की उन्नति।

((ii) सार्वजनिक विद्यालयों का प्रबंधन, विशेष रूप से चंडीगढ़ में और आम तौर पर पूरे भारत में ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए, जैसा कि कहा गया है, 670

((क) बच्चों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक और सामान्य विकास,

(ख) बच्चों में जीवन के उच्च मूल्यों को बढ़ावा देना, जैसे कि अच्छा चरित्र, विचार की शुद्धता, शब्द और कार्य, अनुशासन, आत्मा-द-कॉर्प्स, साहचर्य, सेवा की भावना और कर्तव्य की भावना;

(ग) राष्ट्र, देश और बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा के लिए पढ़ाए जाने वाले लोगों को प्रशिक्षण और संवारना।

(घ) देश की प्रगति, शांति और समृद्धि में इसके अनुप्रयोग के लिए कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

(ग) योग्य बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उपाय करना।

(iv) संपत्ति को किराए पर लेना, खरीदना, अधिग्रहण करना, धारण करना और निपटाना और आम तौर पर ऐसे सभी कार्य और चीजें करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(v) सोसायटी एक गैर-लाभकारी संगठन होगा।इसकी आय और संपत्ति का उपयोग सख्ती से और विशेष रूप से सोसायटी के उपरोक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कोई भी सदस्य लाभ से कोई भी हिस्सा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।"

(3) संघ के ज्ञापन में दिनांक 24.12.1994 के संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया था। उक्त संशोधन द्वारा, समाज के उद्देश्यों में एक परिचयात्मक अनुच्छेद जोड़ा गया था जो निम्नानुसार हैः-

"2. समाज के उद्देश्यः-

समाज की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए की गई है, वे हैं◌ःकबीर एजुकेशनल सोसाइटी अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय का एक संगठन है जो सेंट कबीर पब्लिक स्कूल, चंडीगढ़ को अपनी कार्यात्मक शाखा के रूप में रखता है, जहां पंजाबी भाषा, पंजाबी संस्कृति, पैगंबरों और गुरुओं का इतिहास सर्वोच्च प्राथमिकता पर पढ़ाया जा रहा है और यह भारत के संविधान (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार) के अनुच्छेद 29 और 30 पर आधारित है। लेकिन, स्कूल में प्रवेश जाति, पंथ, समुदाय और धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला रहेगा। सभी धर्मों का पूरा सम्मान किया जाएगा। समाज की यह अवधारणा महान रहस्यवादी संत कबीर के सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष दर्शन पर आधारित है।"

निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग। ओ.

671

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

(4) अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा के लिए स्कूल द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के आयोग (इसके बाद 'एन. सी. एम. ई. आई.' के रूप में संदर्भित) के समक्ष दिनांक 07.05.2012 का एक आवेदन दायर किया गया था।इस आवेदन के साथ, सोसाइटी के अध्यक्ष ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें घोषणा की गई कि स्कूल की स्थापना और प्रबंधन सोसाइटी द्वारा किया गया था जिसमें सिख समुदाय के सदस्य शामिल हैं और यह स्कूल सिख अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए चलाया जा रहा है। आवेदन के साथ-साथ स्कूल के प्राचार्य का एक अन्य हलफनामा भी दायर किया गया था जिसमें घोषणा की गई थी कि स्कूल के छात्रों में से 20.1% सिख अल्पसंख्यक समुदाय के थे। वर्ष 2001 की जनगणना से लिया गया एक चार्ट भी यह दिखाने के लिए संलग्न किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सिख अल्पसंख्यक थे। स्कूल की ओर से 11.04.2013 दिनांकित अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि सोसाइटी के एसोसिएशन के ज्ञापन को 31.01.2013 दिनांकित संशोधन के माध्यम से और संशोधित किया गया था और सोसाइटी द्वारा 16.02.2013 पर इसकी पुष्टि की गई थी। यह संशोधन संगठन के ज्ञापन को सोसाइटी के अंतर्निहित सिद्धांतों यानी सिख समुदाय के लाभ, बेहतरी और उत्थान के अनुरूप बनाने के लिए किया गया था, जिसमें सिख समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। एन. सी. एम. ई. आई. ने 10.09.2014 दिनांकित आदेश के माध्यम से स्कूल के आवेदन का निर्णय लिया और इसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया।

(5) इस बीच, चंडीगढ़ प्रशासन ने अधिसूचना दिनांक 31.01.1996 के माध्यम से 'चंडीगढ़ योजना, 1996 में पट्टे के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों) आदि को भूमि का आवंटन (इसके बाद 1996 योजना के रूप में संदर्भित) शीर्षक से एक योजना को अधिसूचित किया। उक्त अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि यह योजना पंजाब की राजधानी (विकास और विनियम) अधिनियम 1952 (इसके बाद 1952 अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 और 22 के तहत तैयार की गई थी और इसके तहत बनाए गए नियमों को स्कूलों को साइटों के आवंटन को विनियमित करने के लिए बनाया गया था क्योंकि निजी क्षेत्र के स्कूलों को शैक्षिक मानकों के रखरखाव के लिए आवश्यक था।इस योजना के खंड 18 (ii) में एक आबंटित व्यक्ति से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए समय-समय पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत या उससे अधिक सीटें आरक्षित करने और ऐसे छात्रों से मामूली शुल्क लेने की आवश्यकता थी। इस योजना को अधिसूचना दिनांक 29.07.2005 के माध्यम से संशोधित किया गया था।इस मामले के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक संशोधन खंड 18 में था।एक प्रावधान जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था कि यदि कोई स्कूल 15 प्रतिशत आरक्षित सीटों को भरने में असमर्थ है, तो 672

इस तथ्य को चंडीगढ़ प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा और उससे लिखित रूप में एक आदेश प्राप्त किया जाएगा कि उस विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए आरक्षण कम कर दिया गया था।

(6) उपर्युक्त अवधि के दौरान एक और विकास हुआ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (इसके बाद 2004 अधिनियम के रूप में संदर्भित) को 06.01.2005 पर अधिसूचित किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने यू. टी. चंडीगढ़ में एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में निदेशक लोक शिक्षण (स्कूलों) को दिनांक 12.09.2006 के आदेश के अनुसार नियुक्त किया। इस आदेश को सक्षम प्राधिकारी के पदनाम को निदेशक स्कूल शिक्षा में बदलने के लिए दिनांकित 24.02.2016 आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया था। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (इसके बाद 2009 अधिनियम के रूप में संदर्भित) के रूप में जाना जाने वाला एक अन्य अधिनियम अधिसूचना दिनांक 26.08.2009 के माध्यम से अस्तित्व में आया।

(7) 1996 की योजना के तहत भूमि के आवंटन की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्कूल के प्राचार्य को दिनांकित 26.08.2015 का कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था। उल्लंघन का आरोप यह था कि स्कूल ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित नहीं की थीं और इस प्रकार, यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि 1952 के अधिनियम के तहत भूमि और भवन को फिर से शुरू करने की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। इसे स्कूल द्वारा एन. सी. एम. ई. आई. के समक्ष 26.02.2016 की शिकायत के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपने अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई थी।शिकायत को 14.03.2017 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी और चंडीगढ़ प्रशासन को स्कूल पर कोई भी आरक्षण लागू करने से रोक दिया गया था। वर्तमान रिट याचिका चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 19.02.2018 पर दायर की गई है, जिसमें उक्त आदेश के साथ-साथ स्कूल को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाले 10.09.2014 के पिछले आदेश को चुनौती दी गई है।

(8) उपरोक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि एन. सी. एम. ई. आई. के पास दिनांकित 10.09.2014 के आदेश के अनुसार स्कूल को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि ऐसा प्राधिकरण केवल दिनांकित 12.09.2006 के आदेश के अनुसार नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के पास होता है अर्थात निदेशक सार्वजनिक निर्देश (स्कूल)। अधिकारिता के मुद्दे पर, यह तर्क दिया गया है कि 1952 के अधिनियम की धारा 19 किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के माध्यम से उक्त अधिनियम के तहत की गई किसी भी कार्रवाई को चुनौती देने से रोकती है और इस प्रकार, एन. सी. एम. ई. आई. के पास दिनांकित 26.08.2015 के कारण बताए जाने के नोटिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था ।नतीजतन, 14.03.2017 दिनांकित आदेश भी अधिकार क्षेत्र के बिना है। गुण-दोष पर, यह तर्क दिया गया है कि निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग के एसोसिएशन के ज्ञापन से। ओ.

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

समाज, यह स्पष्ट है कि सोसाइटी को एक धर्मनिरपेक्ष इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। नतीजतन, इसके द्वारा स्थापित विद्यालय एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान था। रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सोसाइटी के संस्थापक सदस्य सिख अल्पसंख्यक समुदाय से थे और भले ही संशोधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रखा जाए, यह स्थापित नहीं करता है कि स्कूल सिख अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए स्थापित किया गया था। एन. सी. एम. ई. आई. के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान 31.01.2013 का संशोधन किया गया था और इसका कोई लाभ स्कूल को नहीं दिया जा सकता है। स्कूल यह दिखाने में विफल रहा है कि इसे सिख अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा उक्त समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए स्थापित किया गया था और इस प्रकार, एन. सी. एम. ई. आई. द्वारा पारित 10.09.2014 का आदेश विकृत है।1996 की योजना के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि 13.10.1988 दिनांकित आवंटन पत्र का खंड 29 एक आवंटी को छात्रों के प्रवेश के संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य करता है।1996 की योजना की शुरुआत के बाद, स्कूल को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया गया था और आवंटन पत्र के खंड 29 को देखते हुए स्कूल इस तरह का आरक्षण करने के लिए बाध्य था।इस प्रकार, 14.03.2017 दिनांकित आदेश भी अस्थिर है।2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.17654 में निदेशक विद्यालय शीर्षक से इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 17.08.2018 के फैसले पर मजबूत निर्भरता रखी गई है।

शिक्षा बनाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का आयोग।

(9) एन. सी. एम. ई. आई. द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2014 को चुनौती देने वाले आदेश में देरी के संबंध में सोसायटी और स्कूल की ओर से एक मजबूत प्रारंभिक आपत्ति जताई गई है। यह तर्क दिया गया है कि उक्त आदेश को लगभग साढ़े तीन साल बाद चुनौती दी गई है और इस प्रकार, इसकी चुनौती को देरी और विलंब के आधार पर विफल होना पड़ता है।चंडीगढ़ प्रशासन उक्त आदेश से अच्छी तरह वाकिफ था क्योंकि इसे उसके वकील की उपस्थिति में पारित किया गया था।इसके अलावा, दिनांक 10.09.2014 के आदेश के पारित होने के बाद, स्कूल ने शैक्षणिक सत्र 2016-17 के बाद सिख अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। उक्त श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को चंडीगढ़ प्रशासन से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक था कि संबंधित छात्र सिख अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है।चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा से इस तरह के प्रमाण पत्र प्रदान करता रहा है लेकिन उचित समय के भीतर 10.09.2014 के आदेश को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इसकी ओर से और इस आधार पर भी रिट 674 पर सहमति है।

याचिका विचारणीय नहीं है। गुण-दोष पर, यह तर्क दिया गया है कि अभिलेख इंगित करता है कि सोसाइटी के संस्थापक सदस्य सिख धर्म से संबंधित थे। इस धर्म का पालन करने वाले लोग केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उन्हें अपनी पसंद के प्रशासनिक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, भले ही यह स्वीकार किया जाए कि विद्यालय एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान था, लेकिन इसका प्रबंधन, जिनमें से सभी सिख अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं, अपने धर्म और संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य को समाज के उद्देश्यों में शामिल करने का संकल्प ले सकता है। यह वास्तव में 24.12.1994 दिनांकित संशोधन के माध्यम से किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) की आवश्यकताओं को पूरा किया गया और तदनुसार 10.09.2014 दिनांकित आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी। एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने के राज्य के निर्देशों को लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। 13.01.2013 का संशोधन केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का था और यह मूल संगठन ज्ञापन की तारीख से संबंधित होगा। किसी भी मामले में, 1996 की योजना स्कूल पर लागू नहीं हो सकती क्योंकि इसे वर्ष 1988 में भूमि आवंटित की गई थी और वर्ष 1991 में कार्यात्मक हो गई थी। 1996 की योजना की शर्तें केवल उक्त योजना के तहत आबंटित लोगों पर लागू होती हैं और मौजूदा स्कूलों पर नहीं। इस प्रकार, चंडीगढ़ प्रशासन का समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्देश स्कूल के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। रिलायंस ने

निम्न पर जोर देते हुए अवगत करवाया जाता है

चंदना दास (मालाकार) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 1, सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 2, प्रबंधक, कॉर्पोरेट शैक्षिक एजेंसी बनाम जेम्स मैथ्यू और अन्य 3, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 4, पी. ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 5, भारत संघ और अन्य बनाम एन. आर. परमार और अन्य 6।

(10) अधिकारिता के मुद्दे पर, 2004 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर यह तर्क देने के लिए निर्भरता रखी गई है कि एन. सी. एम. ई. आई. अच्छी तरह से 1 2019 (4) एस. सी. टी. 489 था।

2 2018(2) एससीटी 640

3 2017 (4) एससीटी 57

4 2002(8) एस. सी. सी. 481

5 2005(6) एस. सी. सी. 537

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

विवादित आदेश पारित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर।

देरी और बाधाएं:-

(11) देरी और अड़चनों के मुद्दे पर लंबे तर्क दिए गए हैं। प्रतिवादीगण नंबर 2 से 4 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि चंडीगढ़ प्रशासन दिनांकित 10.09.2014 के आदेश से अच्छी तरह से अवगत था क्योंकि यह उसके वकील की उपस्थिति में पारित किया गया था और इसे चुनौती देने में देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है।दिनांकित 10.09.2014 आदेश से संबंधित चंडीगढ़ प्रशासन के रिकॉर्ड के निरीक्षण से पता चलता है कि चंडीगढ़ प्रशासन के वकील का दिनांकित 20.02.2015 का एक संचार रिकॉर्ड में है जिसमें दिनांकित 10.09.2014 आदेश की एक फोटोकॉपी संलग्न है।फोटोकॉपी पर सचिव, एन. सी. एम. ई. आई. द्वारा 30.12.2014 पर मुहर लगाई गई है जो प्रमाणित करती है कि उक्त प्रति मूल की सही प्रति है।इस प्रकार, 10.09.2014 दिनांकित आदेश की प्रमाणित प्रति 30.12.2014 पर तैयार थी, फिर भी चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे चुनौती देने की परवाह नहीं की।इसके अलावा, एन. सी. एम. ई. आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके द्वारा पारित सभी आदेश वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।चंडीगढ़ प्रशासन वेबसाइट से भी उक्त आदेश की एक प्रति प्राप्त कर सकता था, अगर वह वास्तव में इसे चुनौती देने में रुचि रखता था।आदेश को चुनौती देने की तो बात ही छोड़िए, चंडीगढ़ प्रशासन ने उसी बात को स्वीकार कर लिया जो उसके आचरण से स्पष्ट है।इसने स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को उनके लिए 20 प्रतिशत आरक्षित कोटा के खिलाफ सिख अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र जारी किए।इस प्रकार, रिट याचिका इस संक्षिप्त आधार पर खारिज की जानी चाहिए। रिलायंस को राज्य पर रखा गया है

एम. पी. बनाम भाईलाल भाई 7, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और अन्य 8, मेसर्स घई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बनाम गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम इसके कार्यकारी

इंजीनियर, सिविल अपील्स No.421 और 2018 के 422 ने निर्णय लिया

16.01.2018 और कुछ अन्य मामले।(12) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि मामले का रिकॉर्ड इंगित करता है कि 26.09.2014 दिनांकित एक कार्यालय सूचना दी गई थी कि 10.09.2014 दिनांकित आदेश को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाए। इसके बाद वकील को 04.12.2014 का अनुस्मारक भेजा गया।

7 1964 आकाशवाणी (एससी) 1006

8 2012(2) एससीटी 269 676

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2020(1)

एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करना। दिनांक 20.02.2015 की बाद की टिप्पणियाँ इंगित करती हैं कि आदेश की फोटोकॉपी प्राप्त होने पर यह सलाह दी गई थी कि इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाए। हालाँकि, 10.09.2014 दिनांकित आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी और इस प्रकार, अधिकारी ने 07.05.2015 पर व्यक्तिगत रूप से एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की और एक वकील को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। 17.06.2015 और 23.06.2015 दिनांकित बाद की टिप्पणियों से पता चलता है कि एक वकील को नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। 12.10.2015 पर, वकील को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने का निर्देश जारी किया गया था।इसके बाद अनुस्मारक दिनांक 11.02.2016 दिया गया।इसके बाद, दिनांकित 16.03.2016 को नोट करने से पता चलता है कि विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे थे। इस बीच, स्कूल ने दिनांक 26.08.2015 के कारण बताए जाने के नोटिस को चुनौती देते हुए शिकायत दायर की और इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने को स्थगित कर दिया गया। दिनांक 14.03.2017 के आदेश के पारित होने पर, एक विधि अधिकारी की राय प्राप्त की गई, जिन्होंने राय दी कि आदेश को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए। इस प्रकार, देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है और प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की आपत्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है। रिलायंस

रामचंद्र शंकर देवधर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 9, नागालैंड राज्य बनाम लिपोक एओ और अन्य 10, राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम अहमद जान 11, और जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य बनाम मोहम्मद मकबूल सोफी और अन्य 12 पर रखा गया है।

(13) रिलायंस को मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर भी रखा गया है। आदि बनाम भारत संघ आदि। 13 यह तर्क देने के लिए कि निर्णय में

भाईलाल भाई (ऊपर) के मामले को खारिज कर दिया गया है।

(14) उपरोक्त तथ्यों से यह पता चलता है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है।चंडीगढ़ प्रशासन प्रशिक्षित विधि अधिकारियों से सुसज्जित है जो कानून की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।इस प्रकार, यह स्पष्टीकरण कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांकित 10.09.2014 आदेश को चुनौती देने के लिए लिए लिए गए प्रारंभिक निर्णय और संबंधित

वकील द्वारा समय के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर न करने के कारण देरी हुई, एक लंगड़ा बहाना है।

9 1974(1) एस. सी. सी. 317

10 2005(3) एस. सी. सी. 752

11 2008(14) एस. सी. सी. 582

12 2009(15) एससीसी 177

13 1997(5) एस. सी. सी. 536 निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग। ओ.

677

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

(15) प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि जहां तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का संबंध है, कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, उक्त अनुच्छेद के तहत शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है और विवेकाधिकार का प्रयोग आम तौर पर उस पक्ष के पक्ष में नहीं किया जाएगा जो अपने अधिकार के बारे में सतर्क नहीं है। उच्च न्यायालय को किसी मामले में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार करना चाहिए या नहीं, यह उस विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।आम तौर पर, दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए निर्धारित सीमा यानी कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने की तारीख से तीन साल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

भारत से।मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल (ऊपर) के मामले में,

उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका दायर करने में 427 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त निर्णय बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए इस विचार को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था कि सरकारी तंत्र के अवैयक्तिक होने के कारण उसे कुछ रियायत दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों में इस बचाव पर भरोसा किया गया है और इस प्रकार, मैं मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के मामले में लिए गए दृष्टिकोण के पक्ष में झुकूंगा।

(ऊपर)।

(16) हालांकि, विलंब और विलंब का मामला प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पक्ष में रखा जाना चाहिए, विवाद की प्रकृति और इसमें शामिल जनहित को ध्यान में रखते हुए, मैं गुण-दोष के आधार पर भी रिट याचिका पर निर्णय लेना उचित समझता हूं।

एन. सी. एम. ई. आई. का अधिकार क्षेत्रः-

(17) 2004 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा उनकी संबंधित दलीलों की जांच करने के लिए पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

10. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार।

(1) तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करना चाहता है, उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(2) सक्षम प्राधिकारी

(क) दस्तावेजों, शपथपत्रों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, के अवलोकन पर; और

(ख) आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उप-धारा (1) के तहत दायर प्रत्येक आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लें और आवेदन को, जैसा भी मामला हो, मंजूर या अस्वीकार कर देंः

बशर्ते कि जहां कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, सक्षम प्राधिकारी उसे आवेदक को सूचित करेगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर -

(क) सक्षम प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करता है; या

(ख) जहां कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और उसे उस व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया है जिसने ऐसा प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया है, तो यह माना जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

(4) आवेदक, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर या जहां सक्षम प्राधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है, वहां उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना शुरू करने और आगे बढ़ने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजन के लिए -

(क) "आवेदक" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए उप-धारा (1) के तहत आवेदन करता है;

(ख) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" से ऐसा प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जिसमें कहा गया हो कि सक्षम प्राधिकारी को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है।

11. आयोग के कार्यः—तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग। ओ.

679

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

आयोग करेगा -

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार को सलाह देना जो उसे भेजा जा सकता है;

(ख) किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन से वंचित करने या अधिकारों के उल्लंघन और किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता से संबंधित किसी भी विवाद के बारे में शिकायतों की स्वतः संज्ञान लेते हुए या उसे प्रस्तुत याचिका पर पूछताछ करें और इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को अपने निष्कर्ष की रिपोर्ट दें।

(ग) ऐसे न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के समक्ष अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के किसी भी अभाव या उल्लंघन से जुड़ी किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;

(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान या तत्काल लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करें; (ङ) अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अल्पसंख्यकों की स्थिति और उनकी पसंद के संस्थानों के चरित्र को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के उपायों को निर्दिष्ट करें;

(च) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसी भी संस्थान की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय लें और इसकी स्थिति घोषित करें;

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को सिफारिशें करना; और

(ज) आयोग के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या अनुकूल अन्य कार्य और चीजें करें।

12ए. सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपीलः

(1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10 की उप-धारा (2) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ आयोग को अपील कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत अपील आवेदक को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर दायर की जाएगीःबशर्ते कि आयोग तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(3) आयोग को एक अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी जो निर्धारित किया जाए और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति होगी जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है।

(4) आयोग, पक्षों को सुनने के बाद, जितनी जल्दी हो सके एक आदेश पारित करेगा, और अपने आदेशों को प्रभावी बनाने या अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए ऐसे निर्देश देगा जो आवश्यक या समीचीन हों।

(5) उप-धारा (4) के तहत आयोग द्वारा दिया गया आदेश आयोग द्वारा दीवानी अदालत की डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है और दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधान, जहां तक हो सके, उसी तरह लागू होंगे जैसे वे दीवानी अदालत की डिक्री के संबंध में लागू होते हैं।

12ख. किसी शैक्षणिक संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर निर्णय लेने के लिए आयोग की शक्ति।

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए स्थापित प्राधिकरण ऐसा दर्जा देने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर देता है, पीड़ित व्यक्ति आयोग को प्राधिकरण के ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक अपील आवेदक को सूचित आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर की जाएगीः बशर्ते कि आयोग तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(3) आयोग को एक अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी जो निर्धारित किया जाए और उसके साथ एक निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग भी होगा। ओ.

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

आदेश की प्रति जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है।

(4) उप-धारा (3) के तहत अपील की प्राप्ति पर, आयोग, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, और राज्य सरकार के परामर्श से, शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति पर निर्णय ले सकता है और ऐसे निर्देश देने के लिए आगे बढ़ेगा जो वह उचित समझे और ऐसे सभी निर्देश पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे।

स्पष्टीकरण।—इस धारा और धारा 12सी के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकरण" से कोई भी प्राधिकरण या अधिकारी या आयोग अभिप्रेत है जो किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के उद्देश्य से किसी कानून के तहत या उपयुक्त सरकार के किसी आदेश के तहत स्थापित किया गया है।]

22. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें।—इसके प्रावधान

उस समय लागू किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी साधन में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद अधिनियम प्रभावी होगा।

(18) उपरोक्त धारा 10 के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की इच्छा रखता है, वह सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले सकता है। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी के पास केवल उस व्यक्ति को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार क्षेत्र है जो 2004 के अधिनियम के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है। यह शक्ति आगे वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के अधीन है। उपरोक्त धारा 11 एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है।इसके तहत निर्धारित एन. सी. एम. ई. आई. के कार्य किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद किए जाएंगे।उप-धारा (च), एन. सी. एम. ई. आई. में निहित है, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थिति के संबंध में सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। उक्त उप-धारा के शब्द इस संबंध में एन. सी. एम. ई. आई. को बहुत व्यापक शक्तियां देते हैं। यह शब्दांकन आगे यह स्पष्ट करता है कि यह शक्ति मौजूदा संस्थानों के संबंध में प्रयोग की जा सकती है। उप-धारा (बी) के तहत, एन. सी. एम. ई. आई. के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों के अभाव या उल्लंघन के किसी भी मुद्दे की जांच करने की शक्ति है।धारा 12 (ए) धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अपील का उपचार प्रदान करती है। उक्त प्रावधान नहीं है।

इस मामले के लिए प्रासंगिक धारा 12 (बी) एन. सी. एम. ई. आई. में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए स्थापित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति निहित है। यह शक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है। इस प्रकार, एन. सी. एम. ई. आई. धारा 11 (एफ) में प्रदान की गई मूल अधिकारिता और धारा 12 (ए और बी) में प्रदान की गई अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करता है। धारा 22 2004 के अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइडिंग प्रभाव देती है। इसके प्रावधान लागू किसी भी अन्य कानून पर हावी होंगे।

(19) 2004 के अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्लूनी (उपरोक्त) के मामले में की गई है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है; -

15. पहली बार में यह प्रतीत होता है कि 2004 के अधिनियम की धारा 10 (1) और धारा 11 (च) के प्रावधानों के बीच टकराव है। हालाँकि, सामंजस्यपूर्ण रूप से, यह स्पष्ट होगा कि धारा 11 (च) के तहत एन. सी. एम. ई. आई. की शक्तियों का प्रयोग किया जाना है, भले ही उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित हो। दूसरी ओर, सक्षम प्राधिकारी जो धारा 10 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करता है, केवल उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के अधीन ऐसा कर सकता है।

16. दूसरा, धारा 11 (च) एक बहुत व्यापक प्रावधान है जो एन. सी. एम. ई. आई. को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसी संस्थान की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने और उसकी स्थिति घोषित करने का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति "सभी प्रश्न" के साथ-साथ अभिव्यक्ति "संबंधित", जो व्यापक महत्व के शब्द हैं, एन. सी. एम. ई. आई. को किसी भी प्रश्न को तय करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के रूप में किसी संस्थान की स्थिति के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो सकता है। अपने आप में देखे जाने पर, धारा 11 (च) में सभी चरणों में एक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित करना शामिल होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। धारा 11 (च) के तहत शक्ति, जिसे स्वयं पढ़ा जाता है, एन. सी. एम. ई. आई. को निर्देशक विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकार के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेगी।

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना। शक्ति यहीं नहीं रुकती है। इसमें ऐसे संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित करने की शक्ति भी शामिल है, जिसे इस तरह से स्थापित और प्रशासित किया जाता है, ताकि वह संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का लाभ उठा सके।

17. हालाँकि, धारा 10 (1), जिसे 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 11 (च) के साथ ही पेश किया गया था, धारा 11 (च) में निहित उपरोक्त शक्ति का एक पहलू बताती है, अर्थात् किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को उसकी स्थापना के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना। इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति जो 2006 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की इच्छा रखता है, उसे उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए केवल सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए। श्री हेगड़े के इस तर्क को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है कि उक्त शक्तियां समवर्ती हैं। सुसंगत रूप से पढ़ें, 2006 के संशोधन अधिनियम के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए सभी आवेदन केवल क़ानून के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी के पास जाने चाहिए। दूसरी ओर, स्थापना के बाद किसी भी स्तर पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति की घोषणा के लिए, एन. सी. एम. ई. आई. के पास प्रश्न तय करने और ऐसे संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति घोषित करने की शक्ति होगी।" (20) इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि एन. सी. एम. ई. आई. द्वारा पारित दिनांक 10.09.2014 का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(21) 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.17654 में आर. के. जैन, जे. द्वारा पारित निर्णय निदेशक स्कूल शिक्षा बनाम एन. सी. एम. ई. आई. याचिकाकर्ता की मदद नहीं करता है क्योंकि उस मामले के तथ्यों में दो विशिष्ट विशेषताएं हैं। पहला यह है कि इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि ट्रस्ट के बसने वाले सिख धर्म के थे। इस मामले में अभिलेख अन्यथा इंगित करता है जैसा कि बाद में चर्चा की जाएगी। दूसरा, इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यास के उद्देश्य में संशोधन नहीं किया जा सकता था क्योंकि न्यास विलेख ने न्यासियों को ऐसी शक्तियां निहित नहीं की थीं।यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। पंजीकृत सोसायटी के संगठन के ज्ञापन को कानून में संशोधित किया जा सकता है और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए इसमें संशोधन किया गया है।

(22) धारा 11 (बी) एन. सी. एम. ई. आई. को 684 तक की शक्ति प्रदान करती है।

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों पर विचार करना। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के निर्देश का उल्लंघन करने के लिए स्कूल की भूमि और भवन को फिर से शुरू करने की धमकी दी गई थी। इस तरह का निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत दिए गए अल्पसंख्यक संस्थान के प्रशासन के अधिकार का उल्लंघन करेगा जैसा कि पी. ए. इनामदार (ऊपर) के फैसले से स्पष्ट है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

"124. जहाँ तक राज्य द्वारा आरक्षण के विनियोग और इसकी आरक्षण नीति के प्रवर्तन का संबंध है, हम गैर-अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं देखते हैं। हम याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई इस दलील में बहुत बल पाते हैं कि राज्यों के पास प्रबंधन और राज्य के बीच सीटों का कोटा तय करके गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के बंटवारे पर जोर देने की कोई शक्ति नहीं है। राज्य उन निजी शैक्षणिक संस्थानों पर जोर नहीं दे सकता जिन्हें राज्य से कोई सहायता नहीं मिलती है, ताकि कम प्रतिशत अंकों पर प्रवेश देने के लिए आरक्षण पर राज्य की नीति को लागू किया जा सके, यानी योग्यता को छोड़कर किसी भी मानदंड पर।

125. हमारी समझ के अनुसार, न तो पाई फाउंडेशन के फैसले में और न ही केरल शिक्षा विधेयक में संविधान पीठ के फैसले में, जिसे पाई फाउंडेशन द्वारा अनुमोदित किया गया था, क्या ऐसा कुछ है जो राज्य को गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित या नियंत्रित करने की अनुमति देता है ताकि उन्हें राज्य द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को उपलब्ध सीटों का एक हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके, जैसे कि वह ऐसे निजी संस्थानों में अपने विवेक से भरने के लिए उपलब्ध सीटों को भर रहा हो।यह उन सीटों के राष्ट्रीयकरण के बराबर होगा जिन्हें पाई फाउंडेशन में विशेष रूप से अस्वीकृत किया गया है। राज्य की सीटों का कोटा लागू करना या गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों में उपलब्ध सीटों पर राज्य की आरक्षण नीति को लागू करना निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार और स्वायत्तता पर गंभीर अतिक्रमण करने वाले कार्य हैं। सीटों के इस तरह के विनियोग को निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग के भीतर अल्पसंख्यकों के हित में एक नियामक उपाय भी नहीं माना जा सकता है। ओ.

अनुच्छेद 30 (1) का अर्थ या संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के अर्थ के भीतर एक उचित प्रतिबंध केवल इसलिए कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य के संसाधन सीमित हैं, निजी शैक्षणिक संस्थान, जो बेहतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का इरादा रखते हैं, उन्हें राज्य द्वारा कम

मेधावी उम्मीदवारों को आरक्षण नीति के आधार पर प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। गैर-सहायता प्राप्त संस्थान, क्योंकि वे राज्य निधि से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यदि निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर-दोहनकारी और योग्यता के आधार पर अपने स्वयं के प्रवेश कर सकते हैं।

126. पाई फाउंडेशन में बहुमत की राय के पैरा 68 में टिप्पणियाँ, जिन पर पक्षों के विद्वान वकील अपनी प्रस्तुतियों में बहुत भिन्न रहे हैं, हमारे अनुसार, मुख्य निर्णय के अन्य हिस्सों से अलग नहीं हैं। पाई फाउंडेशन में निर्णय के कुछ अनुच्छेदों में निहित कुछ टिप्पणियां, यदि अलग-अलग पढ़ी जाती हैं, तो एक-दूसरे के साथ परस्पर विरोधी या असंगत प्रतीत होती हैं। लेकिन अगर की गई टिप्पणियों और निष्कर्षों को समग्र रूप से पढ़ा जाए, तो निर्णय में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अल्पसंख्यकों और गैर-अल्पसंख्यकों के गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों को राज्य की सीट बंटवारे और आरक्षण नीति के अधीन होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। निर्णय के प्रासंगिक भागों को पढ़ना, जिन पर विद्वान वकीलों ने टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां की हैं और पूरे निर्णय को पढ़ना (इस न्यायालय के पिछले निर्णयों के आलोक में, जिन्हें पाई फाउंडेशन में अनुमोदित किया गया है) हमारी सुविचारित राय में, पैरा 68 में टिप्पणियाँ केवल गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों को राज्य के साथ सीट बंटवारे के लिए स्वेच्छा से सहमत होकर या राज्य की सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन को अपनाकर योग्यता को प्रवेश के मानदंड के रूप में बनाए रखने की अनुमति देती हैं।ऐसी टिप्पणियां भी हैं जिनमें कहा गया है कि वे जरूरतमंद और गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए अपनी नीति बना सकते हैं या समाज के कमजोर और गरीब वर्गों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप नीति अपना सकते हैं।

127. पाई फाउंडेशन में कहीं भी, बहुमत या अल्पमत की राय में, हमें गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों और आरक्षण 686 पर राज्य द्वारा सीट बंटवारे का कोटा लागू करने का कोई औचित्य नहीं मिला है।

राज्य या राज्य कोटा सीटों या प्रबंधन सीटों की नीति।" (23) इस प्रकार, स्कूल एन. सी. एम. ई. आई. के समक्ष दिनांकित 26.08.2015 के कारण बताए जाने के नोटिस को चुनौती देने का हकदार था और शिकायत पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र उसके पास था।तदनुसार, दिनांकित 14.03.2017 आदेश भी अधिकार क्षेत्र के भीतर था और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इसके विपरीत उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

(24) 1952 के अधिनियम की धारा 19 पर याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा गलत है।उक्त धारा किसी भी न्यायालय को धारा 8 के तहत बकाया या जुर्माने की वसूली के आदेश या

फिर से शुरू करने के आदेश को चुनौती देने वाले मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर विचार करने से रोकती है।यह 1952 के अधिनियम की धारा 8 (ए) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से नहीं रोकता है।इसके अलावा, 1952 का अधिनियम और 2004 का अधिनियम दोनों विशेष अधिनियम हैं और बाद में एक विशेष अधिनियम पहले के विशेष अधिनियम पर प्रबल होगा। 2004 के अधिनियम की धारा 22 आगे स्पष्ट करती है कि उक्त अधिनियम का अन्य सभी आग्रहपूर्ण कानूनों पर प्रबल प्रभाव है। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि 1952 के अधिनियम की धारा 19 के कारण, एन. सी. एम. ई. आई. को शिकायत पर विचार करने से रोक दिया गया था।

(25) भूमि आवंटन की शर्तों की एक अवधि के कारण स्कूल में वर्ष 2005 में संशोधित 1996 की योजना के लागू होने के मुद्दे की वर्तमान में जांच की जाएगी।

1996 की योजना का अनुप्रयोगः-

(26) दिनांकित 13.10.1988 आवंटन पत्र का खंड 29 निम्नलिखित शब्दों में हैः

"संस्थान में प्रवेश उन निर्देशों/निर्देशों के अधीन होगा जो निदेशक लोक निर्देश (स्कूल/कॉलेज), चंडीगढ़ समय-समय पर जारी कर सकते हैं।"

(27) उपरोक्त कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए, निदेशक लोक शिक्षण (स्कूल) प्रवेश के संबंध में स्कूल को निर्देश जारी कर सकते हैं।हालांकि, निर्देश वैध होने चाहिए।

(28) 1996 की योजना निजी स्कूलों को भूमि आवंटन को विनियमित करने के लिए तैयार की गई थी। इसके तहत निर्धारित आवंटन की शर्तों में से एक यह है कि स्कूल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेगा।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त योजना के तहत आवंटित भूमि पर स्कूल को निर्धारित 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखनी चाहिए। इस मामले में, स्कूल को वर्ष 1988 में भूमि आवंटित की गई थी और 1996 की योजना में कहीं भी यह नहीं कहा गया है।

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

इसकी शर्तें मौजूदा स्कूलों पर भी लागू होंगी।इस प्रकार, मौजूदा स्कूलों को 1996 की योजना की शर्तों का पालन करने का निर्देश गैरकानूनी था।

विद्यालय की अल्पसंख्यक स्थितिः-

(29) पूरा विवाद स्कूल की स्थिति के इर्द-गिर्द घूमता है। यदि यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, तो इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की

स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। प्रशासन के अधिकार में अपनी पसंद के छात्रों के प्रवेश का अधिकार शामिल है और इसलिए उस पर कोई आरक्षण नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि स्कूल को एक गैर-सहायता प्राप्त निजी धर्मनिरपेक्ष संस्थान माना जाता है, तो यह राज्य की आरक्षण नीति का पालन करने के लिए बाध्य है।

(30) अनुच्छेद 30 भारत के संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है।इन अधिकारों में अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई लोगों का अपनी भाषा लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार और अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी शामिल है। हालांकि, किसी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए या उससे सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से, जनादेश यह है कि एक अल्पसंख्यक चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई, उसे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है और चाहे वह राज्य से सहायता प्राप्त करता हो या नहीं, वह छात्रों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए अपनी नीति बनाने का हकदार है।

(31) भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के दायरे और चौड़ाई पर कानून की कोई कमी नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर निर्णय को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि सिविल अपील में सात न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ दिया गया है।

2006 का No.2286 जिसका शीर्षक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश था

अग्रवाल और अन्य, इस मुद्दे पर कि क्या अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का हकदार है, भले ही यह उक्त अल्पसंख्यक से संबंधित व्यक्तियों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। मेरी सुविचारित राय में, यह मुद्दा इस मामले में उत्पन्न नहीं होता है और इस प्रकार, मैं स्कूल की स्थिति के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ रहा हूं।

(32) इस मुद्दे पर सबसे पहला फैसला केरल 688 में दिया गया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2020(1)

शिक्षा विधेयक, 1957 14.7-न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने केरल राज्य द्वारा 02.09.1957 पर पारित केरल शिक्षा विधेयक 1957 की वैधता की जांच की।पीठ द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या उक्त विधेयक के कुछ प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) को आहत करते हैं। इस संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी विशेष राज्य की जनसंख्या के संदर्भ में अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाना है। मुख्य मुद्दे का निर्णय इस प्रकार किया गया हैः-

“22. अब हम अपने सामने रखे गए मुख्य बिंदु पर जाते हैं, अर्थात्, अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का दायरा और दायरा क्या है। मामले के इस हिस्से पर मुख्य तर्क पर आने से पहले, हम केरल राज्य के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए एक छोटे से मुद्दे पर विचार कर सकते हैं।उनका तर्क है कि तीन शर्तें हैं जिन्हें अनुच्छेद 30 (1) के संरक्षण और विशेषाधिकारों से पहले पूरा किया जाना चाहिए, जिनका दावा किया जा सकता है, अर्थात्, (1) एक अल्पसंख्यक समुदाय होना चाहिए, (2) उस समुदाय के एक या अधिक सदस्यों को, संविधान के प्रारंभ के बाद, अपनी पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और (3) अपने समुदाय के सदस्यों के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। ऊपर उल्लिखित परीक्षण के अनुसार, हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि केरल राज्य में एंग्लो-इंडियन, ईसाई और मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हैं। हम यह नहीं मानते कि अनुच्छेद 30 (1) का संरक्षण और विशेषाधिकार केवल उन शैक्षणिक संस्थानों को दिया गया है जो हमारे संविधान के लागू होने की तारीख के बाद स्थापित किए गए थे या जिन्हें इसके बाद स्थापित किया जा सकता है।इस परिकल्पना पर संविधान के प्रारंभ से पहले इनमें से किसी भी समुदाय के एक या अधिक सदस्यों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30 (1) के लाभों के हकदार नहीं होंगे।जैसे ही हम अनुच्छेद 19 (1) (च) की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, इस तर्क की भ्रांति स्पष्ट हो जाती है, जो स्पष्ट रूप से पर्याप्त रूप से उस व्यवसाय, व्यवसाय या पेशे पर लागू होती है जो पहले से ही शुरू हो चुका है और जो संविधान के प्रारंभ के बाद शुरू किया जा सकता है और चलाया जा सकता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनुच्छेद 30 (1) का लाभ केवल संविधान के प्रारंभ के बाद स्थापित शैक्षणिक संस्थानों तक ही सीमित होना चाहिए। प्रयोग की जाने वाली भाषा

14 एयर 1958 एससी 956 निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग। ओ.

689

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

अनुच्छेद 30 (1) संविधान पूर्व और संविधान के बाद के दोनों संस्थानों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को दो अधिकार देता है, अर्थात् (ए) अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और (बी) प्रशासन करने के लिए।दूसरे अधिकार में स्पष्ट रूप से संविधान-पूर्व विद्यालयों को शामिल किया गया है जैसे कि अनुच्छेद 26 में संविधान-पूर्व धार्मिक संस्थानों को बनाए रखने का अधिकार शामिल है।जहाँ तक ऊपर वर्णित तीसरी शर्त का संबंध है, तर्क अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि किसी अन्य समुदाय के किसी एक सदस्य को किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिए स्थापित स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो शैक्षणिक संस्थान विशेष अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान नहीं रह जाता है।इस तर्क को अनुच्छेद 29 (2) के

संदर्भ से मजबूत करने की कोशिश की गई है।यह कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान जो राज्य के धन से कोई सहायता नहीं मांगता है, उसे उस समुदाय के अलावा किसी अन्य समुदाय से संबंधित एक भी विद्वान को प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लाभ के लिए यह स्थापित किया गया था, लेकिन जैसे ही ऐसा शैक्षणिक संस्थान राज्य के खजाने से सहायता मांगता है और प्राप्त करता है, अनुच्छेद 29 (2) उसे केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर अन्य समुदायों के सदस्यों को प्रवेश देने से मना कर देगा और परिणामस्वरूप यह अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान नहीं रहेगा जिसने इसे स्थापित किया था।यह तर्क हमें अनुच्छेद की भाषा द्वारा ही समर्थनीय नहीं लगता है।अनुच्छेद 30 (1) में ऐसी कोई सीमा नहीं है और इस सीमा को स्वीकार करने के लिए आवश्यक रूप से अनुच्छेद में "अपने समुदाय के लिए" शब्दों को जोड़ना शामिल होगा जो आमतौर पर व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित नियमों के अनुसार अनुमेय नहीं है। न ही यह मान लेना उचित है कि अनुच्छेद 29 (2) का उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से प्राप्त सहायता से वंचित करना था। यह कहना कि जो संस्थान अपने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के कारण सहायता प्राप्त करता है, उसे किसी अन्य समुदाय के किसी भी सदस्य को केवल उसमें उल्लिखित आधारों पर प्रवेश देने से इनकार नहीं करना चाहिए और फिर यह कहना कि जैसे ही ऐसा संस्थान ऐसे बाहरी व्यक्ति को स्वीकार करता है, वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रहेगा, यह कहने के समान है कि अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अल्पसंख्यक संस्थान 690 के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी सहायता।अनुच्छेद 29 (2) और अनुच्छेद 30 (1) का वास्तविक महत्व हमें यह प्रतीत होता है कि वे स्पष्ट रूप से एक अल्पसंख्यक संस्थान पर विचार करते हैं जिसमें बाहरी लोगों को प्रवेश दिया जाता है। किसी गैर-सदस्य को इसमें शामिल करने से अल्पसंख्यक संस्थान अपना चरित्र नहीं छोड़ता है और अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रह जाता है। वास्तव में अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के गैर-सदस्यों के बीच इसका प्रचार करके बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। हमारी राय में, इस शर्त को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में पढ़ना संभव नहीं है।

23. ऊपर निर्दिष्ट छोटे से मुद्दे का निपटारा करने के बाद, अब हम अनुच्छेद 30 (1) की विषय-वस्तु के बारे में अपने सामने रखे गए मुख्य तर्क पर विचार करते हैं। ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि यह अनुच्छेद न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को बल्कि भाषाई अल्पसंख्यकों को भी कुछ अधिकार देता है। इसके बाद, ऐसे अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है।यह नहीं कहता कि धर्म पर आधारित अल्पसंख्यकों को केवल धर्म पढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने चाहिए, या भाषाई अल्पसंख्यकों को

केवल अपनी भाषा पढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए।लेख में जो कहा गया है और इसका मतलब यह है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए।ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर कोई सीमा नहीं है।चूंकि ऐसे अल्पसंख्यक आम तौर पर चाहेंगे कि उनके बच्चों का उचित और कुशलता से पालन-पोषण किया जाए और वे उच्च विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए पात्र हों और ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों से पूरी तरह से सुसज्जित दुनिया में जाएं जो उन्हें सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए उपयुक्त बनाएँ, इसलिए उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान भी शामिल होंगे। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद यह उनकी पसंद पर छोड़ता है कि वे ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें जो दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, अर्थात्, उनके धर्म, भाषा या संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य, और उनके बच्चों को पूरी तरह से, अच्छी सामान्य शिक्षा देने का उद्देश्य भी।ध्यान देने वाली अगली बात यह है कि अनुच्छेद, संदर्भ में, सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, दो अधिकार देता है, अर्थात्, स्थापित करने का अधिकार और निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग का अधिकार।

691

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करें। विचाराधीन अनुच्छेद के सही अर्थ और निहितार्थ की समझ की कुंजी "उनकी अपनी पसंद के शब्द" हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रमुख शब्द "विकल्प" है और उस अनुच्छेद की सामग्री उतनी ही व्यापक है जितनी कि विशेष अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद इसे बना सकती है। इसलिए, अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दायरा स्वयं शैक्षणिक संस्थानों के दृष्टिकोण से मामले पर विचार करने पर निर्धारित किया जाना है। उस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित या प्रशासित या उनके द्वारा इस प्रकार स्थापित या प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् (1) वे जो राज्य से सहायता या मान्यता नहीं चाहते हैं, (2) वे जो सहायता चाहते हैं, और (3) वे जो केवल मान्यता चाहते हैं लेकिन सहायता नहीं चाहते हैं।"

(33) यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है जिसमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान की स्थापना का विकल्प शामिल होगा। इस तरह के संस्थान के छात्रों को केवल अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है और अल्पसंख्यक अन्य समुदायों के छात्रों को भी प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं।

(34) एस. अज़ीज़ बाशा और एक अन्य बनाम भारत संघ में 15

उच्चतम न्यायालय इस बात की जांच कर रहा था कि क्या 1951 का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 62 संवैधानिक था या नहीं।इस चुनौती के आधार पर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रकृति और स्थिति की जांच की गई और यह माना गया कि उक्त विश्वविद्यालय भारत सरकार के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकारों का दावा नहीं कर सकता था। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:"19. अनुच्छेद 30 (1) के तहत, "सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। "हम वर्तमान याचिकाओं में इस धारणा पर आगे बढ़ेंगे कि मुसलमान धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं।फिर अनुच्छेद 30 (1) का दायरा क्या है और उसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को वास्तव में क्या अधिकार दिया गया है।यह हमारे दिमाग में काफी है।

15 ए. आई. आर 1968 एस. सी. 662 692

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2020(1)

यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 30 (1) यह अभिनिर्धारित करता है कि धार्मिक समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा जिसका अर्थ है कि जहां कोई धार्मिक अल्पसंख्यक एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करता है, उसे उसे प्रशासित करने का अधिकार होगा। इस आशय का तर्क दिया गया है कि भले ही अल्पसंख्यक धर्म के लोगों ने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं की हो, लेकिन इसे प्रशासित करने का अधिकार होगा, अगर यह संविधान लागू होने से पहले किसी प्रक्रिया से इसे प्रशासित कर रहा था। हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी राय में अनुच्छेद स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अधिकार होगा बशर्ते उन्होंने उन्हें स्थापित किया हो, लेकिन अन्यथा नहीं। अनुच्छेद को पढ़ा नहीं जा सकता है, इसका मतलब यह है कि भले ही शैक्षणिक संस्थान किसी और द्वारा स्थापित किया गया हो, किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक को इसे प्रशासित करने का अधिकार होगा क्योंकि, किसी न किसी कारण से, यह संविधान के लागू होने से पहले इसे प्रशासित कर रहा होगा। अनुच्छेद में "स्थापना और प्रशासन" शब्दों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि यह अल्पसंख्यकों को एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने के लिए अधिकार बनाता है बशर्ते कि यह उसके द्वारा स्थापित किया गया हो। इस संबंध में हमारा ध्यान केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (1) की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अल्पसंख्यक एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन कर सकते हैं, भले ही उसने इसे स्थापित नहीं किया हो।उस मामले में यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत संरक्षण केवल संविधान लागू होने के बाद स्थापित शैक्षणिक संस्थानों

को दिया गया था।इस न्यायालय द्वारा उस तर्क को इस स्पष्ट कारण से खारिज कर दिया गया था कि यदि वह व्याख्या अनुच्छेद 30 (1) को दी जाती है तो इसकी अधिकांश सामग्री लूट ली जाएगी। लेकिन हमारी राय में उस मामले में यह निर्धारित नहीं किया गया था कि अनुच्छेद 30 (1) में "स्थापना और प्रशासन" शब्दों को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए, ताकि, भले ही एक अल्पसंख्यक ने एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं की हो, लेकिन उसे इसे प्रशासित करने का अधिकार हो। यह सच है कि पी।1062 न्यायालय ने अनुच्छेद 30 (1) के बारे में बात की जो अल्पसंख्यक को दो अधिकार देता है अर्थात (i) स्थापना करने और (ii) प्रशासन करने के लिए। लेकिन यह केवल बैठक के संदर्भ में कहा गया था, उनका तर्क था कि संविधान के लिए लागू होने से पहले अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग में आते हैं।

693

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

बल को अनुच्छेद 30 (1) का संरक्षण नहीं था।हमारी राय है कि उस मामले में कुछ भी याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए इस तर्क को उचित नहीं ठहराता है कि अल्पसंख्यकों को एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने का अधिकार होगा, भले ही संस्थान उनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो।अनुच्छेद 30 (1) के दो शब्दों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए पढ़ें कि अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने द्वारा स्थापित संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार देता है। यदि शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है तो वह अनुच्छेद 30 (1) के तहत इसे प्रशासित करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा की गई थी और यदि यह स्थापित किया गया तो अल्पसंख्यकों को निश्चित रूप से इसे प्रशासित करने का अधिकार होगा।"

(35) इस फैसले के अनुसार, केवल अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एक संस्था ही इसे प्रशासित करने के अधिकार का दावा कर सकती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकारों का आनंद लेगी। यदि कोई शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।केरल शिक्षा विधेयक 1957 में इसके विपरीत एक अवलोकन को स्वतंत्रता से पहले के शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में समझाया गया था।

(36) केरल राज्य आदि बनाम बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल

आदि। 16 6-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:"8. इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 30 (1) का अर्थ पहले ही लगाया जा चुका है।उन मामलों का उल्लेख किए बिना यह कहना पर्याप्त

है कि खंड दो अधिकारों पर विचार करता है जो समय के साथ अलग-अलग हैं।पहला अधिकार अल्पसंख्यकों की पसंद के संस्थानों की स्थापना का प्रारंभिक अधिकार है। यहाँ स्थापना का अर्थ है किसी संस्थान को अस्तित्व में लाना और यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक परोपकारी व्यक्ति अपने स्वयं के साधनों के साथ, संस्थान या समुदाय को बड़े पैमाने पर धन से योगदान देता है। कानून में स्थिति समान है और दोनों ही मामलों में इरादा उस समुदाय के किसी सदस्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए एक संस्था स्थापित करने का होना चाहिए। यह भी उतना ही अप्रासंगिक है कि अल्पसंख्यकों के अलावा

16 (1970) 2 एससीसी 417 694

अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के अन्य समुदाय-या यहां तक कि बहुसंख्यक समुदाय से भी इन संस्थानों का लाभ उठाया जा सकता है।ऐसे अन्य समुदाय आय लाते हैं और उन्हें सुरक्षा का आनंद लेने के लिए वापस नहीं करना पड़ता है।

9. अधिकार का अगला भाग ऐसी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन का अर्थ है संस्थान के 'मामलों का प्रबंधन'। यह प्रबंधन नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि संस्थापक या उनके नामांकित व्यक्ति संस्थान को अपने विचार के अनुसार ढाल सकें और उनके विचारों के अनुसार कि सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से संस्थान के हितों की सर्वोत्तम सेवा कैसे की जाएगी।इ स प्रबंधन के किसी भी हिस्से को गारंटीकृत अधिकार पर अतिक्रमण किए बिना दूसरे निकाय में नहीं लिया जा सकता है और निहित नहीं किया जा सकता है।" (37) उपरोक्त टिप्पणियों से यह प्रतीत होता है कि पीठ ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार का आनंद लेने के लिए, अल्पसंख्यकों को न केवल एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करनी चाहिए, बल्कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए भी होना चाहिए। हालांकि, अगली पंक्ति में यह उल्लेख किया गया है कि अन्य समुदायों के सदस्यों को भी ऐसे संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकता है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से 'अल्पसंख्यक समुदाय' के लाभ के लिए अभिव्यक्ति वित्तीय लाभ को संदर्भित करती है।इस दृष्टिकोण को अगली पंक्ति में टिप्पणियों से बल मिलता है कि अन्य समुदायों के छात्र आय में लाते हैं और केवल इसलिए कि ऐसे छात्रों को संस्थान में प्रवेश दिया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि संस्थान में अल्पसंख्यक चरित्र नहीं है।

(38) पक्षों द्वारा निर्दिष्ट अगला निर्णय ए. पी.

क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम सरकार

आंध्र प्रदेश और अन्य इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच कर रहा था कि क्या उसके समक्ष अपीलकर्ता अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। इस संदर्भ में इसे इस प्रकार रखा गया थाः

"8. हमारे समक्ष यह गंभीरता से तर्क दिया गया था कि कोई भी अल्पसंख्यक, यहां तक कि अल्पसंख्यक से संबंधित एक भी व्यक्ति, एक अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित कर सकता है और उसे संविधान के तहत ऐसा करने का अधिकार है और न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने के संस्था के अधिकार से इनकार कर सकते हैं, चाहे वे 17 (1986) 2 एस. सी. सी. 667 निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग के हित में नियामक उपाय लागू कर सकें। ओ.

695

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

शिक्षा की एकरूपता, दक्षता और उत्कृष्टता।जहां तक तत्काल मामले का संबंध है, तर्क की भ्रांति यह सोचने में निहित है कि न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय को इस दावे के पीछे जाने का अधिकार है कि संस्थान एक अल्पसंख्यक संस्थान है और यह जांच करने और खुद को संतुष्ट करने का अधिकार है कि क्या दावा अच्छी तरह से स्थापित है या गलत।सरकार, विश्वविद्यालय और अंततः अदालत को कॉर्पोरेट वकीलों से उचित माफी के साथ 'अल्पसंख्यक पर्दा' को भेदने का निस्संदेह अधिकार है और यह पता लगाने का अधिकार है कि क्या इसके पीछे कोई अल्पसंख्यक नहीं है और किसी भी मामले में कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।अनुच्छेद 30 (1) का उद्देश्य ढोंग करने वालों द्वारा डिब्बों को उठाने की अनुमति देना नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों को 'सुरक्षा की भावना और विश्वास की भावना' देना है, न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को धर्म का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के अधिकार की गारंटी देना है, बल्कि सभी अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई, को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने में सक्षम बनाना है।ये संस्थान सच्चाई और वास्तविकता में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए, न कि केवल नकाबपोश कल्पनाएँ।वे ऐसे संस्थान हो सकते हैं जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के बच्चों को सर्वोत्तम सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा देना, उन्हें देश का पूर्ण पुरुष और महिला बनाना और उन्हें पूरी तरह से तैयार और सुसज्जित दुनिया में जाने में सक्षम बनाना हो।वे ऐसे संस्थान हो सकते हैं जहाँ अल्पसंख्यक बच्चों के लाभ और उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है।वे ऐसे संस्थान हो सकते हैं जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के माता-पिता उम्मीद कर सकते हैं कि उनके धर्म के मूल सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा विद्वान और आस्था में डूबे शिक्षकों द्वारा या उनके मार्गदर्शन में दी जाएगी।वे ऐसे संस्थान हो सकते हैं जहाँ माता-पिता अपने बच्चों से एक व्यापक वातावरण में बढ़ने की उम्मीद करते हैं जो उनके धर्म के अनुरूप हो या इसके अनुसरण के लिए अनुकूल

हो।जो महत्वपूर्ण और अनिवार्य है वह यह है कि कुछ वास्तविक सकारात्मक सूचकांक मौजूद होना चाहिए ताकि संस्थान को अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाना जा सके।हम पहले ही कह चुके हैं कि वर्तमान मामले में संघ के ज्ञापन में पढ़ी गई वस्तुओं में से एक में 'ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में' आधे दर्जन शब्दों के अलावा, 696

ज्ञापन या संघ के लेखों या समाज के कार्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करे कि संस्थान का उद्देश्य एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होना था।जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये आधा दर्जन शब्द केवल अनुच्छेद 30 (1) पर दावा करने के लिए पेश किए गए थे।वे धुएँ का पर्दा थे।"

(39) यह टिप्पणी कि संबंधित अधिकारी इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या वास्तव में अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने वाली संस्था को अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया है, उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।उसमें अपीलार्थी को अनुमति, मान्यता और संबद्धता के बिना स्थापित किया गया था और वह इन बाधाओं को दूर करने के लिए अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर रहा था।

(40) सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 18 में

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रयुक्त 'स्थापना और प्रशासन' शब्दों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। अल्पसंख्यक द्वारा संस्था की स्थापना का प्रमाण होना चाहिए और यह संस्था के प्रशासन के अधिकार का दावा करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।

(41) फिर टी. एम. ए. पाई में प्रसिद्ध निर्णय आता है।

फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 19.द.

प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैंः- "102. अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यदि किसी अन्य समुदाय के एक सदस्य को किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्थापित स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो शैक्षणिक संस्थान उस विशेष अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान नहीं रहेगा।यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 29 (2) के कारण, जब एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान को सहायता मिलती है, तो यह अनुच्छेद 29 (2) के कारण अन्य समुदायों के सदस्यों को प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप, यह अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान नहीं रहेगा जिसने इसे स्थापित किया था।इस तर्क को पलटते हुए, इसे पृष्ठों 1051-52 पर

निम्नानुसार देखा गयाः".....यह तर्क हमें अनुच्छेद की भाषा द्वारा ही समर्थनीय नहीं लगता है।ऐसी कोई सीमा नहीं है।

18 (1992) 1 एस. सी. सी. 558

19 (2002) 8 एस. सी. सी. 481 निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग। ओ.

697

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

अनुच्छेद 30 (1) में और इस सीमा को स्वीकार करने के लिए आवश्यक रूप से अनुच्छेद में "अपने समुदाय के लिए" शब्दों को जोड़ना शामिल होगा जो आमतौर पर व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित नियमों के अनुसार अनुमेय नहीं है।न ही यह मान लेना उचित है कि अनुच्छेद 29 (2) का उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से प्राप्त सहायता से वंचित करना था।यह कहना कि जो संस्थान अपने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के कारण सहायता प्राप्त करता है, उसे किसी अन्य समुदाय के किसी भी सदस्य को केवल उसमें उल्लिखित आधारों पर प्रवेश देने से इनकार नहीं करना चाहिए और फिर यह कहना कि जैसे ही ऐसा संस्थान ऐसे बाहरी व्यक्ति को स्वीकार करेगा, वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रहेगा, यह कहने के समान है कि अल्पसंख्यक संस्थान किसी भी सहायता के हकदार नहीं होंगे।हमें अनुच्छेद 29 (2) और अनुच्छेद 30 (1) का वास्तविक महत्व यह प्रतीत होता है कि वे स्पष्ट रूप से एक अल्पसंख्यक संस्थान पर विचार करते हैं जिसमें बाहरी लोगों को भर्ती किया जाता है।किसी गैर-सदस्य को इसमें शामिल करने से अल्पसंख्यक संस्थान अपना चरित्र नहीं छोड़ता है और अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रह जाता है।वास्तव में अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के गैर-सदस्यों के बीच इसका प्रचार करके बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है।हमारी राय में, इस शर्त को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में पढ़ना संभव नहीं है।

103. यह देखा जाएगा कि उस मामले में "बाहरी लोगों का छिड़काव" अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 30 (1) के अनुच्छेद 29 (2) की प्रयोज्यता को दर्शाता है; न्यायालय ने कहा कि जब कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान सहायता प्राप्त करता है, तो बाहरी लोगों को प्रवेश देना होगा। राज्य के तर्क के इस हिस्से को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन जिस तर्क को खारिज कर दिया गया था वह यह था कि बाहरी लोगों को लेने से, एक अल्पसंख्यक संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान नहीं रहेगा जिसने इसे स्थापित किया था। न्यायालय ने पृष्ठ 1062 पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः-

".....हम पहले ही देख चुके हैं कि अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को दो अधिकार देता है, (1) अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और (2) प्रशासन करने के लिए। प्रशासन के

अधिकार में स्पष्ट रूप से कुशासन का अधिकार शामिल नहीं हो सकता है। अल्पसंख्यक निश्चित रूप से 698 में उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान के लिए सहायता या मान्यता नहीं मांग सकते हैं।

अस्वस्थ परिवेश, बिना किसी सक्षम शिक्षक के, योग्यता की कोई झलक रखने वाला, और जो शिक्षण के उचित मानक को भी बनाए नहीं रखता है या जो विद्वानों के कल्याण के प्रतिकूल मामलों को पढ़ाता है।अतः यह तर्कसंगत है कि उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करने का संवैधानिक अधिकार आवश्यक रूप से राज्य के इस दावे के खिलाफ नहीं है कि सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम निर्धारित कर सकता है।

104. यह देखते हुए कि अनुच्छेद 30 न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी संदर्भित है, यह माना गया कि अनुच्छेद उन अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है, और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर कोई सीमा नहीं रखी जा सकती है और सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को भी अनुच्छेद 30 (1) के दायरे में समझा जाता है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस मामले में संबोधित और उत्तर दिया गया तर्क यह था कि क्या एक अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थान अनुच्छेद 29 (2) के संदर्भ में गैर-अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश देने से अपना चरित्र खो देता है।यह देखा गया कि 'बाहरी लोगों के छिड़काव' की स्वीकृति संस्थान को उसके अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित नहीं करेगी।उसमें व्यक्त की गई राय वास्तव में अनुच्छेद 30 (1) और 29 (2) के अंतर-खेल के संबंध में हमारे द्वारा लिए गए अंतिम दृष्टिकोण के विपरीत नहीं है।"

(42) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने अल्पसंख्यक चरित्र को केवल इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान कर रहा है या अन्य समुदायों से संबंधित छात्रों को प्रवेश दे रहा है।

(43) टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में निर्णय दिया गया है

पी. ए. इनामदार (ऊपर) में 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा व्याख्या की गई, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को राज्य द्वारा लगाए गए कोटे के कारण अपनी सीटें साझा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान निश्चित रूप से कोटा के अधीन नहीं हो सकता है। प्रासंगिक टिप्पणियों को पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है।(44) क्लूनी (सुप्रा) में, स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों और आदि की स्थापना और संचालन के लिए 26.03.1973 पर एक सोसायटी पंजीकृत की गई थी। 16.11.1997 दिनांकित संचार के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि यह अल्पसंख्यक

दर्जा या विशेष रियायतों की मांग नहीं करता है और धर्मनिरपेक्ष आधार पर एक कॉलेज स्थापित करने की इच्छा रखता है और अनुमति दी गई थी।

इसके बाद, सोसायटी निदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग। ओ.

699

शिक्षा, सीएचडी प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के लिए राष्ट्रीय आयोग (सुधीर मित्तल, जे.)

एन. सी. एम. ई. आई. के समक्ष अल्पसंख्यक दर्जे के लिए दिनांकित 27.06.2007 पत्र के माध्यम से आवेदन किया।एन. सी. एम. ई. आई. ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया।संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल प्रमाण पत्र को रद्द करने का आवेदन भी खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, सोसायटी ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें संबद्ध विश्वविद्यालय के क़ानून के तहत खुद को शासी निकाय से मुक्त करने की मांग की गई। शासी निकाय द्वारा एक क्रॉस रिट दायर की गई थी। एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि एन. सी. एम. ई. आई. के पास अल्पसंख्यक का दर्जा देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और इस निर्णय को खंड पीठ ने बरकरार रखा। नतीजतन, सोसायटी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कि एन. सी. एम. ई. आई. के पास अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मूल अधिकार क्षेत्र था, यह माना गया कि मौलिक अधिकार को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान के रूप में शुरू की गई संस्था खुद को एक अल्पसंख्यक संस्थान में बदल सकती है।

(45) उपर्युक्त उल्लिखित निर्णयों में स्पष्ट कानून यह है कि अल्पसंख्यक के रूप में वर्गीकृत होने के लिए, ध्यान में रखी जाने वाली इकाई संबंधित राज्य है।एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि किसी विशेष राज्य के भीतर एक समुदाय धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक है, तो उसे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करना और अन्य समुदायों से संबंधित छात्रों का प्रवेश, इसे अल्पसंख्यक चरित्र से वंचित नहीं करता है।इसके अलावा, एक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित संस्था शुरू में एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र रख सकती है और यह बाद में अल्पसंख्यक दर्जे का विकल्प चुन सकती है।

(46) 15.09.1976 दिनांकित एसोसिएशन के ज्ञापन में संस्थापक सदस्यों के धर्म या भाषा का कोई संकेत नहीं दिया गया है। सोसाइटी के उद्देश्य भी किसी अल्पसंख्यक भाषा या संस्कृति के संरक्षण की बात नहीं करते हैं। किसी विशेष धर्म का भी कोई संदर्भ नहीं है और इस प्रकार, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि समाज को धर्मनिरपेक्ष विद्यालयों की स्थापना के लिए एक धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में स्थापित किया गया था। एसोसिएशन के ज्ञापन को 24.12.1994 पर संशोधित किया गया था जिसमें 'समाज के उद्देश्य' शीर्षक के तहत एक परिचय शामिल किया गया था। इस परिचय में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत समाज अल्पसंख्यक था और इसके द्वारा स्थापित स्कूल में पंजाबी भाषा, पंजाबी संस्कृति, पैगंबरों और गुरुओं के इतिहास को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पढ़ाया जा रहा था। हालाँकि, महान रहस्यवादी संत कबीर की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी समुदायों के छात्रों के लिए प्रवेश खोला गया

था। समाज के नियमों और विनियमों को तदनुसार संशोधित किया गया था, जिसके साथ संस्थापक सदस्यों के नाम और पते संलग्न किए गए थे, जिसमें यह खुलासा किया गया था कि वे सभी सिख धर्म को मानते हैं। इस संशोधन से यह स्थापित होता है कि सोसाइटी के सभी संस्थापक सदस्य सिख धर्म को मानते थे और इस पर 700 लोगों ने जोर दिया था।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2020(1)

सिख गुरुओं के शिक्षण इतिहास के अलावा पंजाबी भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर भी जोर दिया गया। अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा के लिए एक आवेदन 07.05.2012 पर दायर किया गया था और NCMEI को स्कूल के चरित्र और स्थिति पर राय देने के लिए कहा गया था। ऊपर उल्लिखित निर्णयों के अनुसार, एक संस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ के भीतर एक अल्पसंख्यक संस्थान होगा बशर्ते कि यह एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया हो।जिस तरह की शिक्षा दी जानी है, वह अल्पसंख्यकों की पसंद है।24.12.1994 पर संशोधित संगठन के ज्ञापन के अवलोकन से यह स्थापित होता है कि समाज के संस्थापक सिख धर्म का पालन करते थे।सिख यू. टी. चंडीगढ़ में एक धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जैसा कि वर्ष 2001 की जनगणना से स्पष्ट होता है जो दिनांक 07.05.2012 के आवेदन के साथ संलग्न है।याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई वर्ष 2011 की जनगणना भी इस तथ्य की पुष्टि करती है।

(47) जैसा कि क्लूनी (ऊपर) में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार की कोई छूट नहीं हो सकती है और इस प्रकार, स्कूल बाद की तारीख में अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा की मांग कर सकता है।अल्पसंख्यकों का लाभ उठाने का इरादा वर्ष 1994 में व्यक्त किया गया था जब संघ के ज्ञापन में पहला संशोधन किया गया था।इस विद्यालय के पास अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा के लिए आवश्यक सभी मानदंड थे और एन. सी. एम. ई. आई. द्वारा दिए गए कारण पूरी तरह से उचित नहीं होने के बावजूद इसे प्रदान करना उचित था।दिनांकित 31.01.2013 संशोधन का संदर्भ आवश्यक नहीं है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान केवल उक्त अल्पसंख्यक के लाभ के लिए होना चाहिए।

निष्कर्षः

रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

पी. एस. बाजवा

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्यवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवाहरिक और अधिकारिक उदेश्यो के लिए निणर्य का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(योगेश चन्द्र गौड)